प्रकरण संख्या 22/2017 तारीख रजु–27.11.2017

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी अभिमन्यु कुमार आई.ए.एस.

उनवान

सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, सपोटरा, तहसील–सपोटरा, जिला–करौली – प्रार्थी

बनाम

मनोहरी लाल बैरवा, उचित मूल्य दुकानदार, ग्राम पंचायत–खेड़ला, तहसील–सपोटरा, जिला–करौली – अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत सीज्ड किये गये 2.53 क्विं. गेहूं एवं 22.44 लीटर केरोसीन को राजसात् करने बाबत्।

निर्णय

दिनांक–21.08.2018

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रवर्तन निरीक्षक, सपोटरा, जिला रसद कार्यालय करौली श्री हरविन्द्र शर्मा द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि दिनांक 19.06.2017 को अप्रार्थी डीलर श्री मनोहरी लाल बैरवा की दुकान का भौतिक सत्यापन करने तथा आमद, वितरण एवं वितरण से शेष रही राशन सामग्री की मात्रा का अंकेक्षण किया गया। उक्त डीलर की दुकान पर क्रय विक्रय सहकारी समिति करौली से प्राप्त सूचना के आधार पर सितंबर 2016 से फरवरी 2017 तक कुल 867.82 क्विं. गेंहूं की आमद हुई जिसमें से डीलर ने 01.09.2016 से 16.03.2017 तक कुल 829.60 क्विं. गेंहूं का वितरण कर दिया। इस प्रकार वक्त निरीक्षण डीलर की दुकान पर गेंहूं का अवशेष स्टॉक 38.22 क्विं. होना चाहिये था किन्तु वक्त निरीक्षण दुकान का भौतिक सत्यापन करने पर 40.75 क्विं. गेंहूं पाया गया जो वास्तविक स्थिति से 2.53 क्विं. गेंहूं अधिक पाया गया। डीलर की दुकान पर अक्टूबर 2016 से फरवरी 2017 तक कुल 7400 लीटर केरोसीन की आमद हुई जिसमें से डीलर ने 01.10.2016 से 16.03.2017 तक कुल 5682.44 लीटर केरोसीन का वितरण कर दिया। इस प्रकार वक्त निरीक्षण डीलर की दुकान पर केरोसीन तेल का अवशेष स्टॉक 1717.56 लीटर होना चाहिये था किन्तु वक्त निरीक्षण दुकान का भौतिक सत्यापन करने पर 1740 लीटर केरोसीन तेल पाया गया जो वास्ततिक स्थिति से 22.44 लीटर, केरोसीन तेल अधिक पाया गया। उक्त डीलर की दुकान का भौतिक सत्यापन करने तथा आमद, वितरण एवं अवशेष राशन सामग्री की मात्रा का अंकेक्षण करने पर कुल 2.53 क्विं. गेंहूं एवं 22.44 लीटर केरोसीन तेल अधिक पाया गया जिसे आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत उपस्थित मौतविरानों की उपस्थिति में जब्तराज किया गया व सुरक्षित सम्भलाने हेतु, खुर्द बुर्द नहीं करने की शर्त पर उचित मूल्य दुकानदार श्री राजेन्द्र प्रसाद मीना ग्राम पंचायत खेड़ला 1/2 भाग की सुपुर्दगी में दिया गया।

जिला कलक्टर
करौली

अंत में उक्त जब्तशुदा 22.44 लीटर केरोसीन एवं 2.53 क्विं. गेंहूं को राजसात् किये जाने का निवेदन किया गया है। साथ ही केरोसीन वाष्पित होने वाली ज्वलनशील, आवश्यक श्रेणी की वस्तु होने के कारण इसके अंतिम निस्तारण किये जाने बाबत् भी निवेदन किया गया है।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी ने उपस्थित होकर जबाव पेश कर निवेदन किया है कि प्रवर्तन निरीक्षक सपोटरा ने यह प्रार्थना पत्र धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत गलत प्रस्तुत किया है। दिनांक 19.06.2017 को किये गये भौतिक सत्यापन में स्टॉक सही पाया गया था। माह सितंबर 2016 से पूर्व का शेष स्टॉक 2 क्विं. 53 किलो गेहूं माह सितंबर से पूर्व का शेष स्टॉक पोश मशीन एवं स्टॉक रजिस्टर में दर्ज था तथा वक्त निरीक्षण जवाबदार के स्टॉक में उपलब्ध गेहूं को नहीं तौला था। वक्त निरीक्षण प्रवर्तन निरीक्षक ने केरोसीन को नापा भी नहीं था। माह अक्टूबर 2016 से पूर्व केरोसीन का बकाया स्टॉक 18.82 लीटर था जिसे जोड़ा नहीं था। 18.82 लीटर केरोसीन माह अक्टूबर 2016 से पूर्व का शेष स्टॉक पोस मशीन एवं स्टॉक रजिस्टर में दर्ज था। दिनांक 19.06.2017 की फर्द रिपोर्ट प्रवर्तन निरीक्षक में स्टाक सही था। जवाबदार ने कोई आपराधिक कृत्य नहीं किया है। अंत में प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाने का निवेदन किया है।

बहस प्रवर्तन निरीक्षक व वकील अप्रार्थी सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रवर्तन निरीक्षक का कथन है कि उनके द्वारा दिनांक 19.06.2017 को अप्रार्थी डीलर श्री मनोहरी लाल बैरवा की दुकान का भौतिक सत्यापन किया गया।

उक्त डीलर की दुकान पर क्रय विक्रय सहकारी समिति करौली से प्राप्त सूचना के आधार पर सितं. 2016 से फरवरी 2017 तक कुल 867.82 क्विं. गेंहूं की आमद हुई जिसमें से डीलर ने 01.09.2016 से 16.03.2017 तक कुल 829.60 क्विं. गेंहूं का वितरण कर दिया। इस प्रकार वक्त निरीक्षण डीलर की दुकान पर गेंहूं का अवशेष स्टॉक 38.22 क्विं. होना चाहिये था किन्तु वक्त निरीक्षण दुकान का भौतिक सत्यापन करने पर 40.75 क्विं. गेंहूं पाया गया जो वास्तविक स्थिति से 2.53 क्विं. गेंहूं अधिक था। डीलर की दुकान पर अक्टूबर 2016 से फरवरी 2017 तक कुल 7400 लीटर केरोसीन की आमद हुई जिसमें से डीलर ने 01.10.2016 से 16.03.2017 तक कुल 5682.44 लीटर केरोसीन का वितरण कर दिया। इस प्रकार वक्त निरीक्षण डीलर की दुकान पर केरोसीन तेल का अवशेष स्टॉक 1717.56 लीटर होना चाहिये था किन्तु वक्त निरीक्षण दुकान का भौतिक सत्यापन करने पर 1740 लीटर केरोसीन तेल पाया गया जो वास्ततिक स्थिति से 22.44 लीटर, केरोसीन तेल अधिक था। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाने का कथन किया है।

वकील अप्रार्थी का बहस में कथन है कि प्रवर्तन निरीक्षक सपोटरा ने यह प्रार्थना पत्र धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत गलत प्रस्तुत किया है। दिनांक 19.06.2017 को किये गये भौतिक सत्यापन में स्टॉक सही पाया गया था। माह सितंबर 2016 से पूर्व का

जिला कलक्टर
करौली

प्रकरण संख्या 22/2017 तारीख रजु–27.11.2017

शेष स्टॉक 2 क्विं. 53 किलो गेहूं माह सितंबर से पूर्व का शेष स्टॉक पोश मशीन एवं स्टॉक रजिस्टर में दर्ज था तथा वक्त निरीक्षण जवाबदार के स्टॉक में उपलब्ध गेहूं को नहीं तौला गया और ना ही केरोसीन को नापा गया था। माह अक्टूबर 2016 से पूर्व केरोसीन का बकाया स्टॉक 18.82 लीटर था जिसे जोड़ा नहीं था। 18.82 लीटर केरोसीन माह अक्टूबर 2016 से पूर्व का शेष स्टॉक पोस मशीन एवं स्टॉक रजिस्टर में दर्ज था। दिनांक 19.06.2017 की फर्द रिपोर्ट प्रवर्तन निरीक्षक में स्टाक सही था। जवाबदार ने कोई आपराधिक कृत्य नहीं किया है। अंत में प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाने का कथन किया है।

उभय पक्ष की बहस का मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज व साक्ष्य शपथपत्रों का विवेचन किया गया। दिनांक 19.06.2017 को किये गये अंकेक्षण/भौतिक सत्यापन में अप्रार्थी के स्टॉक में 38.22 क्विं. की अपेक्षा 40.75 क्विं. गेंहूं एवं 1717.56 लीटर की अपेक्षा 1740 लीटर केरोसीन पाया गया। इस प्रकार गेंहूं 2.53 क्विं. एवं 22.44 लीटर केरोसीन अधिक पाया गया। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं जब्तशुदा गेंहूं 2.53 क्विं. एवं 22.44 लीटर केरोसीन को राजसात् किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी करौली को निर्देशित किया जाता है कि उक्त जब्तशुदा गेंहूं व केरोसीन को नियमानुसार निस्तारित करवाया जाकर प्राप्त राशि को जमा राजकोष किया जावे। जिला रसद अधिकारी, करौली को निर्णय की प्रमाणित प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.08.2018 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(अभिमन्यु कुमार)
जिला कलक्टर
करौली